

188



समाप्त :- न्यायालय श्रीमन्त राजस्व मण्डल खातीवर केम्प, नागर म.प्र.

क्रिग- 2891-2-16

अरविन्द मुखैया पिता स्व. श्री वलसीराम मुखैया,

साकिन- ग्राम अलापुर तहसील पथरिया,

थाना पथरिया, जिला दमोह " म.प्र. "

-- पुनरीक्षणजा

रुच. के. यकवती, को/१०

10-8-16

किरद

~~कस~~
10-8-16

श्रीक कृमार पिता भतानी प्रसाद त्रिनाथ उम 42 साल,

नित्वासी- ग्राम सहजपुर पो. 3 तहसील देहरेडा,

जिला दमोह " म.प्र. "

-- उत्तरदाता

पुनरीक्षण प्र. -

ता. प्रस्तुती -

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2691-एक/2016

जिला-दमोह

अरविन्द मुखरैया विरुद्ध अशोक कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री ओ.पी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया, जिला-दमोह के प्र.क्र. 48/अ-06/2013-2014 में पारित आदेश दिनांक 29-07-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>12/2/2019</p>